<u>In the Court of S.D.J.M Bikramganj</u>

<u>C-474/2025</u>

Date of Order	Orders with initials of the Magistrate	Remarks
14.07.2026	अभिलेख प्रस्तुत किया गया, परिवादी अनुपस्थित है। प्रस्तुत वाद विमल किशोर भारती द्वारा कमल किशोर भारती और दिनेश्वर भारती के विरूद्व लाया गया है। वाद में परिवादी दिनांक 07.01.2026 को उपस्थित होकर अपना सशपथ बयान दर्ज कराया था, उसके उपरान्त दिनांक 09.03.2026 को अपना अंतिम जांच साक्ष्य प्रस्तुत किया था। उसके उपरान्त ना तो परिवादी कभी उपस्थित हुआ और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। दिनांक 06.7.2026 को उनको सदेह उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया गया किंतु वह आज भी अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि परिवादी को प्रस्तुत वाद में कोइ्र अभिरूचि नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत वाद को बी.एन.एस.एस की धारा 226 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। (Dictated) S.D J.M	